

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 12.04.2021

To,

The Principal,  
Sree Sai Private ITI,  
Lafia Safipur Urf Srupahan, Lalganj,  
Azamgarh, Uttar Pradesh (PR09000879)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं ! जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है ।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए ।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 27.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए ।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

  
(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश ।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है ।



O/C  
CR Please Issue  
13-4-21  
12

  
(संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण)